


महोदय,

उक्त आपत्ति के सन्दर्भ में निवेदन यह है कि मेरे द्वारा दिनांक 09.10.2022 को गाजियाबाद जाने के लिए सरकारी वाहन संख्या UP70AG-2010 से जाने हेतु अनुमति पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त अनुक्रम में कुल 337 किमी. की निजी यात्रा की गयी, जिसमें से 200 किमी. छूट माह अक्टूबर 2022 में काटने के उपरान्त 137 किमी. का किराया मुव. 03 रुपये प्रति किमी.की दर से कुल 411/- रुपये भारतीय स्टेट बैंक में दिनांक 13.10.2022 को चालान संख्या 0700/01/JD00016 से जमा कर दिये गये हैं।
जमा की गयी धनराशि के बैंक चालान की प्रति संलग्न है।


(डॉ. विदुषी सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय मथुरा